लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/राज/सी/ 19 /09/227 भोपाल,दिनांक 25/2/09

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था–2/सी/व्या/147/08 /1340–1341, दिनांक 30.7.08 द्वारा सरल क्रमांक 49 पर अंकित श्रीमती एकता पाठक व्याख्याता (गणित)शास.उत्कृ.उ.मा.वि.नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर का स्वेच्छिक स्थानांतरण शास.उ.मा.वि.गुनगा जिला भोपाल किया गया था । उक्त स्थानान्तरण में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती एकता पाठक व्याख्याता (गणित) को शास.सुभाष उत्कृ.उ.मा.विद्यालय भोपाल में व्याख्याता (गणित) के रिक्त पद पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक स्था.2/राज/सी/ 19 /09/228 भोपाल,दिनांक 25/2/09

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला नरसिंहपुर/भोपाल म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर/भोपाल ।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला नरसिंहपुर/भोपाल म.प्र. ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर/भोपाल की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले की स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. प्राचार्य शास.उत्कृ.उ.मा.वि.नरसिंहपुर ।
8. शास.सुभाष उत्कृ.उ.मा. विद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश